



कार्यालय जिला पंचायत नारायणपुर (छ0ग0)

कार्यालय :-07781-252288 फ़ैक्स:-252287 ई-मेल :-zp-narayannpur@gmail.in

// निविदा //

क्रमांक / 3427 / जि.पं. / निविदा / प्रशि. / 2017 नारायणपुर, दिनांक 04 / 09 / 2017

प्रति ,

सर्व संबंधित जिला (जनपद) अधिकारी  
ए.डी.ओ. जिला  
जिला - नारायणपुर

विषय:- जिला/जनपद स्तरीय पदाधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण के दौरान चाय-नाश्ता एवं भोजन हेतु मूल्य कथन आमंत्रित करने के संबंध में

संदर्भ :- कार्यालयीन पत्र क्रमांक /6051/ जि.पं./डीपीआरसी/प्रशि./2017 नारायणपुर दिनांक 02.02.2017।

-----000-----


उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है, कि जिला/जनपद /ग्राम स्तरीय पदाधिकारियों का प्रशिक्षण के दौरान चाय-नाश्ता एवं भोजन हेतु इच्छुक, अनुभवी स्वसहायता समुह/ किराया भंडार व्यवसायी/भोजनालय/हॉटल/केटरर्स मूल्य कथन आमंत्रित किया जाना प्रस्तावित है, जो इस प्रकार है।

फर्म का नाम .....

क्र.	भोजन/नाश्ता	दर	रिमार्क
01	1.भोजन - (दो बार)		
	चावल (आवश्यक प्रकार )		
2	दाल		
3	सब्जी (दो प्रकार)		
4	रोटी		
5	पापड		
6	अचार		
2	नाश्ता		
1	पोहा		
2	भजिया		
3	दोसा		
4	ब्रेड पकोडा		
5	पराठा		
6	सब्जी में से कोई एक प्रशिक्षण के मांग के अनुरूप		
7	चाय,बिस्किट (दो बार )		


R

अतः पदाधिकारियों का प्रशिक्षण में लगने वाले ,चाय नाश्ता एवं भोजन की व्यवस्था लगने वाले का मूल्य इच्छुक स्व राहायता समुह/ किराया भंडार व्यवसायी/भोजनालय/हॉटल/केटरर्स इस कार्यालय को बंद लिफाफे में मूल्य कथन दिनांक 15/09/2017 तक कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकते है, निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त मूल्य कथन मान्य नहीं किया जावेगा।

  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
जिला पंचायत नारायणपुर

पृ0क्रमांक/ 3428 /जि.पं./ डीपीआरसी/प्रशि./2017 नारायणपुर, दिनांक 01 / 09 /2017  
प्रतिलिपि:

1. कलेक्टर जिला नारायणपुर को सादर सुचनार्थ।
2. जनसम्पर्क अधिकारी, जनसम्पर्क कार्यालय जिला नारायणपुर को सुचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।
3. डीआईओ/एनआईसी जिला नारायणपुर को सुचनार्थ।
4. डीपीएम, ई-पंचायत जिला पंचायत निविदा आंत्रण को [www.narayanpur.gov.in](http://www.narayanpur.gov.in) पर अपलोड करने हेतु (निविदा DPM में) नारायणपुर को सुचनार्थ एवं पालनार्थ।

  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
जिला पंचायत नारायणपुर


निविदा हेतु आहर्ता :-

नोट्स

1. संबंधित प्रतिष्ठान के पास जीएसटी पंजीयन न होना अनिवार्य है।
2. निविदा के साथ जीएसटी नं. अंकित बिल प्रति संलग्न किया जायें।
3. संबंधित प्रतिष्ठान अपना 01 वर्ष का आयकर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. निविदाकार अपना पेन नं. लाईसेंसधारी होना चाहिए।
5. निविदाकार अपने अधीन भोजन व्यवस्था में पूर्व से कार्यरत कर्मियों की संख्या/योग्यता/पदनाम की जानकारी दें।
6. निविदाकार का केन्द्र/राज्य शासन अथवा उनके उपक्रमों में भोजन एवं स्वत्पाहार व्यवस्था संबंधी कार्यानुभव आवश्यक एवं अनिवार्य है।
7. निविदाकार का खाद्य एवं औषोधि प्रशासन द्वारा जारी फुड लाईसेंस/अनुज्ञप्ति लाईसेंसधारी होना अनिवार्य है, बिना लाईसेंस वाले आवेदन विचार नहीं होंगे एवं अमान्य कर दिये जायेंगे।

नियम एवं शर्त:-

1. भोजन सामग्री उच्च गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए।
2. निविदा लिफाफों में होना चाहिए एक लिफाफे में समस्त प्रमाण पत्र एवं दुसरे में निविदा प्रपत्र होना चाहिए। प्रथम लिफाफे में समस्त प्रमाण पत्र होने पर ही दुसरा लिफाफा खोला जायेगा।
3. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
4. भोजन एवं नाश्ता जिला पंचायत संसाधन केन्द्र में ही बनाया जायगा एवं आवश्यकता अनुरूप प्रशिक्षण स्थल किसी ओर स्थान पर आयोजित होता है तो भोजन पहुंचाने की व्यवस्था संबंधित निविदाकार को करना होगा।
5. भोजन एवं नाश्ता की सामग्री एवं भोजन एवं नाश्ता की गुणवत्ता उचित नहीं पाई गई तो निविदा बिना बताये किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है एवं प्रतीक्षा सूची के निविदाकर्ता को प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।
6. भोजन बनाते एवं वितरण करते समय स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखना होगा।
7. बचे हुए खाने का उचित प्रबंध निविदाकार द्वारा किया जाएगा।
8. उपयोग में आने वाली सभी सामग्री ब्रांडेड एगर्माक होनी चाहिए।
9. निविदाकार को एक पंजी का संधारण करना होगा जिसमें चाय-नाश्ता भोजन प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों का तिथिवार विवरण दर्ज करना होगा एवं शिकायत पंजी का संधारण करना होगा।
10. खाना बनाने तथा परोसने की सम्पूर्ण दायित्व निविदाकार का होगा तथा इस कार्य के लिये रखे गये कर्मचारियों की सुरक्षा/संरक्षा का दायित्व निविदाकार का होगा किसी भी प्रकार की अनहोनी /दुर्घटना के लिये प्रशिक्षण केन्द्र जवाबदार नहीं होगा।
11. किसी भी विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय अधोहस्ताक्षरकर्ता का रहेगा।
12. सफल निविदाकार को कार्यादेश जारी होने के तत्काल कार्य आरंभ करना होगा अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जाएगी एवं द्वितीय निविदा स्वीकृत की जा सकेगी जिसकी अंतर की राशि प्रथम निविदाकार से वसुली जायेगी।

  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
जिला पंचायत नारायणपुर